सबको रोज़गार माँगने का हक़

अप्रैल 1, 2008 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम भारत के सभी शेष जिलों में लागू

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अभी भारत के 330 जिलों में
अप्रैल 1, 2008 से समस्त भारत में

रोज़गार माँगने वाले हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन के
रोज़गार की गारंटी

श्रीमती सोनिया गांधी
माननीय अध्यक्ष, यूपीए

डॉ मनमोहन सिंह
माननीय प्रधानमंत्री, भारत

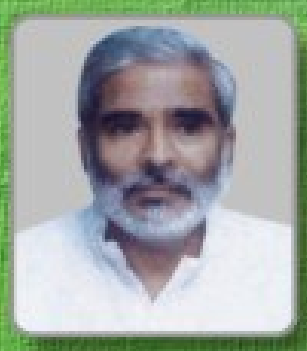

डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह
माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम

भारत सरकार

davp 22/01113/0023/0708